

कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रकटीकरण विवरण

कारोबारी व्यवधानों के दौरान कारोबार संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक सुपरिभाषित बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीसीएम नीति बनाई है। आईडीबीआई बैंक, बैंक के भीतर कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू किया है और बीसीएम नीति के अनुसार अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विभिन्न कारोबार निरंतरता दस्तावेजों को नियमित रूप से बनाए रखता है और अपडेट करता है.

I. बीसीएम नीति विवरण

“बैंक किसी भी कारोबारी व्यवधान/आपदा की स्थिति में, कम से कम समय के भीतर, अपने सभी ग्राहकों को महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है.”

II. बीसीएम नीति का दायरा

इस दायरे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं:

क. मुख्य कार्य:

खुदरा बैंकिंग समूह (आरबीजी) शाखाएं, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटीडी) जिसमें डेटा सेंटर और आपदा उद्धार साइट शामिल है, ट्रेजरी (फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस सहित), कॉर्पोरेट बैंकिंग समूह (सीबीजी) शाखाएं, व्यापार वित्त केंद्र (टीएफ), खुदरा परिसंपत्ति केंद्र (आरएसी), क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई (आरपीयू), अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू)-गिफ्ट सिटी, पीएसजी (टीआरईडीएस) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समूह-व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम).

ख. केंद्रीकृत परिचालन:

केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू), केंद्रीय समाशोधन इकाई (सीसीयू), करेंसी चेस्ट परिचालन और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रसंस्करण केंद्र (ईटीपीसी), नकद प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) - संचालन, सरकारी कारोबार समूह (जीबीजी) परिचालन.

ग. समर्थन कार्य:

मानव संसाधन विभाग (एचआरडी), विधि विभाग, प्रशासन और बुनियादी ढांचा प्रबंधन विभाग (आईएमडी), कॉर्पोरेट रणनीति और संवाद विभाग (सीएसपीडी), वित्त और लेखा विभाग (एफएडी), एफआरएमजी (धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समूह).

घ. आपदा प्रबंधन के लिए परिसर

आईडीबीआई टॉवर कफ परेड, सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई (अनेक्स भवन सहित), सीजी रोड अहमदाबाद, मिशन रोड बेंगलोर, जनपथ भुवनेश्वर, सेक्टर 17 बी चंडीगढ़, सैदापेट चेन्नई, नंदनम चेन्नई में आपदा उद्धार साइट, जीएस रोड गुवाहाटी, चैपल रोड हैदराबाद, पनमपिल्ली नगर कोच्चि, एस. सरणी कोलकाता और एफसी रोड पुणे, आईडीबीआई नरीमन पॉइंट.

III. बीसीएम नीति के उद्देश्य

- i) बैंक कारोबारी व्यवधान के दौरान अपने मूल्यवान ग्राहकों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने का इरादा रखता है.
- ii) बैंक के परिसर में लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना.
- iii) व्यवधान के कारण कारोबार/वित्तीय नुकसान को कम करना या रोकना.
- iv) बीसीएम पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और बीसीएम पर सर्वोत्तम उद्योग अभ्यासों का पालन करना.
- v) बैंक की प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य को बढ़ाना.

IV. डेटा सेंटर और आपदा उद्धार साइट

बैंक ने बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों को निर्बाध प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए बेलापुर, नवी मुंबई में डेटा सेंटर “स्टेट ऑफ आर्ट” और चेन्नई में आपदा उद्धार (डीआर) साइट और सीटीआरएलएस महापे, मुंबई में एक नजदीकी डीआर साइट की स्थापना की है. डेटा सेंटर-बेलापुर की विफलता के मामले में, बैंक अपने महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रखने के लिए डीआर साइट-चेन्नई में स्विच करेगा.

V. कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी)

बीसीएम नीति के अनुसार, बैंक ने विभिन्न आपदा परिदृश्यों की स्थिति में महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाओं की निरंतरता की सुविधा के लिए बीसीपी और डीएमपी तैयार किया है जिसमें प्रक्रिया में व्यवधान, प्रौद्योगिकी में व्यवधान, प्राकृतिक आपदाएं, आग, दंगे आदि शामिल हैं।

VI. विनियामक रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमन के अधीन है। विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार, बैंक को, बैंक के प्रमुख विफलताओं, विफलताओं के कारण प्रभावित ग्राहक खंड/सेवाएं तथा संबंधित विभागों द्वारा भविष्य में ऐसी विफलताओं से बचने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों की रिपोर्ट देनी होगी।

VII. अद्यतन और वार्षिक समीक्षा

बैंक, जब भी इसके परिचालनों, संरचना, कारोबार या स्थान में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं तो बैंक अपनी बीसीएम नीति को अद्यतन करेगा। इसके अलावा, इसके संचालन, संरचना, कारोबार या स्थानों में परिवर्तन को शामिल करने के लिए विभिन्न कार्यों के बीसीपी की वार्षिक समीक्षा करेगा।

VIII. हमसे संपर्क करें

यदि किसी व्यवधान/आपदा के दौरान या उसके बाद, ग्राहक हमारी प्रभावित शाखाओं/इकाइयों से संपर्क करने में असमर्थ हैं, तो कृपया हमारे 24 घंटे के ग्राहक सेवा सहायता सेवाओं पर संपर्क करें ग्राहक सेवा संख्या हमारी वेबसाइट www.idbibank.in पर प्रकाशित की जाती है।
